

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : अमर सिंह मैमोरियल एजूकेशनल वेलफेर सोसाइटी ✓
2. संस्था का पता : शेरपुर रोड धनौरा अमरोहा
3. संस्थ का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश।
4. संस्था के उद्देश्य : संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-
5. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग -

1 आजीवन सदस्य – हर वो भारतीय जो संस्था को 50,000/- रुपये नकद या इसके बराबर सम्पत्ति देगा वह संस्था का आजीवन सदस्य बना रहेगा। ✓

2 साधारण सदस्य – हर वो भारतीय जो संस्था को 10,000/- रुपये देगा तथा प्रति वर्ष 31 मार्च तक 1000/- रुपये संस्था के कोष में जमा करेगा वह संस्था का साधारण सदस्य होगा।

3 सदस्यता की समाप्ति –

1. सदस्य की मृत्यु हो जाने पर। ✓
2. सदस्य के पागल या दिवालिया हो जाने पर। ✓
3. सदस्यता शुल्क समय से जमा न करने पर। ✓
4. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर। ✓
5. न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर। ✓
6. संस्था के विरुद्ध कार्य पर। ✓

7 संस्था के अंग –

1. साधारण सभा –

1. गठन – साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों को मिला कर किया जायेगा। ✓
2. बैठक – साधारण सभा की सामान्य बैठक प्रतिवर्ष में तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जायेगी। ✓
3. सूचनावधि – साधारण सभा की बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व दी जायेगी। ✓



M2116

Amitg

आर्जिल कुमार

4. गणपूर्ति – साधारण सभा का कोरम 2/3 पर्याप्त होगा प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा तय की जायेगी। ✓

5. साधारण सभा के कर्तव्य अधिकार –

1. वार्षिक रिपोर्ट पास करना। ✓
2. वार्षिक बजट पास करना। ✓
3. प्रबन्धकारिणी समिति का गठन करना। ✓

2 प्रबन्धकारिणी समिति –

1. गठन – प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा के सदस्यों द्वारा प्रत्येक पांच साल बाद चुनाव प्रक्रिया से एवं आपसी सहमति से किया जायेगा। ✓

2. बैठक – प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक त्रैमासिक तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जायेगी। ✓

3. सूचनावधि – प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व तथा विशेष की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी। ✓

4. कोरम – कुल संख्या का 2/3 कोरम पर्याप्त होगा। ✓

5. रिक्त स्थानों की पूर्ति – प्रबन्धकारिणी में यदि कोई पद आकस्मिक रिक्त होता है तो उसकी पूर्ति साधारण सदस्यों द्वारा की जायेगी। ✓

6. प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार तथा कर्तव्य –

1. वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना। ✓
2. वार्षिक बजट तैयार करना। ✓
3. वार्षिक अधिवेशन की तिथि तय करना। ✓
4. संस्था हेतु दान, अनुदान तथा चन्दा प्राप्त करना। ✓

8 कार्यकाल – प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल गठन की तिथि से 5 वर्ष के लिए होगा। ✓

9. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार तथा कर्तव्य –

अध्यक्ष –

1. समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना। ✓
2. बैठकों के लिए दिनांक अनुमोदन करना। ✓
3. समान मत होने पर निर्णायक मत देना। ✓
4. पारित बजट के अन्दर व्यय की स्वीकृति प्रदान करना। ✓

M212 Anitg

अमित चूमी

उपाध्यक्ष —

अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे अध्यक्ष द्वारा सौपे गये समस्त कार्यों का निर्वाहन करना। ✓

प्रबन्धक / सचिव —

1. संस्था किसी भी प्रकार की कार्यवाही के अधिकार प्रबन्धक के पास होगें। ✓
2. संस्था के समस्त रिकार्ड एवं बैंक संचालन का कार्य सही तौर पर करना और उसकी रक्षा करना। ✓
3. संस्था के आय-व्यय, लेख-जोखा तथ बिल वाउचरों का कार्य प्रबन्धक करेगा। पूर्णतः स्वतन्त्रता होगी। ✓
4. संस्था की सारी समत्ति जो संस्था के नाम होगी। प्रबन्धक उसका कनवीनर होगा। ✓
5. संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति, वियुक्ति तथा निलम्बन आदि पर हस्ताक्षर करना तथा नियंत्रण करना। ✓
6. संस्था के कर्मचारियों के रिक्त स्थानों को भरने के लिए प्रार्थना पत्र स्वीकार करना। संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में होगा तथा बैंक खाते का संचालन स्वयं प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा। ✓
7. संस्था विद्यालयों तथा कम्प्यूटर सेन्टरों आदि में अध्यापकों की नियुक्ति का अधिकार केवल प्रबन्धक के हाथ में होगा। ✓
8. संस्था की समस्त मीटिंगों का तलब करना, बजट पेश करना। ✓
9. संस्था के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करना। ✓
10. संस्था की नियमावली में परिवर्तन व संशोधन का अधिकार अध्यक्ष का होगा जिसका कोरम 2/3 होगा। ✓
11. भ्रष्ट सदस्यों के खिलाफ कार्यवाही करना। ✓
12. संस्था के आय-व्यय का आडिट करवाना प्रबन्धक द्वारा होगा। ✓

उपप्रबन्धक :—

प्रबन्धक की अनुपस्थिति मे सारे अधिकार उपप्रबन्धक को दिये जायेंगे। ✓

कोषाध्यक्ष :—

Mg/11/1 Anil Jha Anil Jha

प्रबन्धक/सचिव -

1. संस्था किसी भी प्रकार की कार्यवाही के अधिकार प्रबन्धक के पास होगें।
2. संस्था के समस्त रिकार्ड एवं बैंक संचालन का कार्य सही तौर पर करना और उसकी रक्षा करना।
3. संस्था के आय-व्यय, लेख-जोखा तथा बिल वाउचरों का कार्य प्रबन्धक करेगा। पूर्णतः स्वतन्त्रता होगी।
4. संस्था की सारी सम्पत्ति जो संस्था के नाम होगी। प्रबन्धक उसका कनवीनर होगा।
5. संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति, वियुक्ति तथा निलम्बन आदि पर हस्ताक्षर करना तथा नियंत्रण करना।
6. संस्था के कर्मचारियों के रिक्त स्थानों को भरने के लिए प्रार्थना पत्र स्वीकार करना। संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में होगा तथा बैंक के खाते का संचालन स्वयं प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।
7. संस्था विद्यालयों तथा कम्प्यूटर सेन्टरों आदि में अध्यापकों की नियुक्ति का अधिकार केवल प्रबन्धक के हाथ में होगा।
8. संस्था की समस्त मीटिंगों का तलब करना, बजट पेश करना।
9. संस्था के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करना।
10. संस्था की नियमावली में परिवर्तन व संशोधन का अधिकार अध्यक्ष का होगा जिसका कोरम 2/3 होगा।
11. भ्रष्ट सदस्यों के खिलाफ कार्यवाही करना।
12. संस्था के आय-व्यय का ऑडिट करवाना प्रबन्ध द्वारा होगा।

उप-प्रबन्धक :-

प्रबन्धक की अनुपस्थिति में सारे अधिकार उप-प्रबन्धक को दिये जायेंगे।

कोषाध्यक्ष :-

1. संस्था के कोष की देखभाल करना व संस्था के कोष को प्रबन्धक के साथ मिलाकर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा नजदीकी ग्रामीण बैंक में जमा करना।

संस्था के नियमों में परिवर्तन :-

संस्था के नियमों में परिवर्तन सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत साधारण सभा के 2/3 सदस्यों द्वारा किया जायेगा।

M212

2/3

राष्ट्रीयकृत बैंक एवं ग्रामीण
बैंक द्वारा देने वाले एवं निपटने

शेष....4 पर

1. संस्था के कोष की देखभाल करना व संस्था के कोष को प्रबन्धक के साथ मिलकर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा नजदीकी ग्रामीण बैंक में जमा करना। संस्था के नियमों में परिवर्तन :-

संस्था के नियमों में परिवर्तन सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत साधारण सभा 2/3 सदस्यों द्वारा किया जायेगा।
संस्था का कोष :-

संस्था का समस्त कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा नजदीकी ग्रामीण बैंक में जमा किया जायेगा तथा बैंक से धन निकालने के लिए प्रबन्ध/कोषध्यक्ष दोनों के संयुक्त हस्ताक्षरों से धनराशि निकाली जायेगी।
लेखा-परीक्षण :-

संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण संस्था का प्रबन्धक द्वारा प्रति वर्ष कराया जायेगा।

अदालती कार्यवाही :-

संस्था के समस्त अदालती कार्यवाही के लिए शुल्तरदायत्वि संस्था के प्रबन्धक का होगा।

अभिलेख :-

1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर
3. एजेण्डा रजिस्टर
4. कैश बुक
5. व अन्य अभिलेख जो संस्था के लिए आवश्यक है।

संस्था के आय के साधन :-

सदस्यता शुल्क, दान, चन्दा, अनुदान तथा राजकीय सहायता एवं कृषि आय एवं व्यापार से आय आदि।

विश्वविद्यालय परिनियमावली 11.05 का समावेश :-

प्रत्येक महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र के संविधान की धारा 37, 49 (ड) में यह व्यवस्था होगी कि -

- (क) महाविद्यालय के प्राचार्य प्रबन्धकतंत्र का पदेन सदस्य होगा।
- (ख) प्रबन्धतंत्र के 25 प्रतिशत सदस्य अध्यापक है जिसमें प्राचार्य भी है।



Mallik

Anita

आनिल कुमार

(ग) अध्यापक (खण्ड ख) में निर्दिष्ट प्राचार्य को छोड़कर ज्येष्ठता कम से चकानुकम से एक वर्ष की अवधि के लिये ऐसे सदस्य है।

(घ) प्रबन्धतंत्र का एक सदस्य महाविद्यालय तृतीय वर्ग शिक्षणोत्तर कर्मचारियों में से होगा जिसका चयन चकानुकम में एक वर्ष की अवधि के लिए किया जायेगा।

(ङ) खण्ड(ग) में उपबन्धों के अधीन प्रबन्धतंत्र के कोई दो सदस्य धारा 20 के स्पष्टीकरण के अर्थात् एक दूसरे के नातेदार न होगे।

(च) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि प्रबन्धतंत्र के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में कोई व्यक्ति समयक रूप चुना गया या नहीं अथवा उसका सदस्य या पदाधिकारी होने का हकदार है या नहीं या प्रबन्धतंत्र वैध रूप से गठित है या नहीं तो कुलपति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(छ) महाविद्यालय कुलपति द्वारा प्रधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समक्ष या विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त निरीक्षक परिवर्तन के समान महाविद्यालय की आय और व्यय से सम्बन्धित सभी मूल दस्तावेजों को ऐसी सोसाइटी या ग्राहन, बोर्ड या मूल निकाय के लेखे सहित जो महाविद्यालय को चलाएँ रही हो रखने के लिए तैयार है।

(ज) परिनियम 11.06 के निर्दिष्ट विन्यासों निये से सामान्य आय महाविद्यालय के पोषण के लिए उपलब्ध रहेगी।

संस्था का विघटन :-

संस्था का विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।
संस्था का लाभ :-

संस्था द्वारा अर्जित लाभ या लाभांश किसी भी दशा में सदस्यों में बाटा नहीं जायेगा। अंतिक किसी सम उद्देश्यीय संस्था का हस्तान्तरित किया जायेगा।

दिनांक

सत्य प्रतिलिपि

हस्ताक्षर

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित

27/11/2015

Anil

आनिल उमा